

24/11  
24/01/23  
हैं। भ्रमण पर हैं। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार  
आमन्दा दिनांक 24.01.23 को पेश हो।

24/01/23  
पत्रावली पेश हुई वकील वादी को प्रतिवादी  
गण के नोटिस तामील करवाने हेतु बार-  
बार अवसर दिये जाने के उपरान्त भी नोटिस  
तामील नहीं करवाने पर पत्रावली आदेश  
प्रमाण्ड के तहत खरीज की जाती है।  
पत्रावली केशव कुमार होकर नम्बर की क्रम  
की जाकर कारवील होकर है।

उप खण्ड अधिकारी  
चिश्ता जिला झुन्झुनूं (राज.)